



पत्रांक: 2893/वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 05-02-2024

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन, नई दिल्ली।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 06.02.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छांपें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
 3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
 5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(महफूज आलम)

Sup. अधीक्षण अभियन्ता
Electricity Urban Distribution Circle-1
Ghaziabad

पत्रांक: 2893/वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 05-02-2024

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज आलम)
Sup. अधीक्षण अभियन्ता
Electricity Urban Distribution Circle-1
Ghaziabad



पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि० अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 विभागीय कम्प्यूटर/लैपटॉप(ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा, ड्राईवर इंस्टालेशन एवं अन्य सॉफ्टवेयर सम्बन्धित कार्य) हेतु निम्न ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 21.02.2024 को 17:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी। निविदा संख्या, धरोहर राशि एवं सम्बन्धित कार्यालय क्रमशः हैं:-65/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, मु० अमि०(वि०)-प्र० एवं वि०न०वि०म०-प्र०, 66/2023-24/EUDC-1GZB रू०-1500, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, 67/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, वि०न०वि०ख०-प्र०, एवं उपखण्ड-प्र० एवं द्वि०, 68/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, वि०न०वि०ख०-तृ०, एवं उपखण्ड-प्र० एवं द्वि०, 69/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, वि०न०वि०ख०-पं०, एवं उपखण्ड-प्र० एवं द्वि०, 70/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, वि०न०वि०ख०-न०, एवं उपखण्ड-प्र०, द्वि० एवं तृ०, 71/2023-24/EUDC-1GZB रू०-2000, वि०न०प०ख०-प्र०, एवं परीक्षणशाला-प्र०, तृ०, पं० एवं न०। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvn.org पर देखा जा सकता है।


अधीक्षक अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद
Ghaziabad

“राष्ट्रहित में बिजली बचायें”




जानकारी मिलता इसका सूचना पुरताननालाखत पत पर द।

थाना प्रमुख

पुलिस स्टेशन: सब्जी मंडी, दिल्ली

DP/1437/N/2024

फोन: 8750870126



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना: विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 विभागीय कम्प्यूटर/लैपटॉप (ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा, ड्राइवर इंस्टालेशन एवं अन्य सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य) हेतु निम्न ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 21.01.2024 को 17.00 बजे व उसके पश्चात खोली जाएगी। निविदा संख्या, धरोहर राशि एवं संबंधित कार्यालय क्रमशः हैं:-

65/2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, मु. अभि.(वि.)-प्र. एवं वि.न.दि.म.-प्र.,
 66/2023-24/EUDC-1GZB रु. 1500, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, 67/
 2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, वि.न.वि.म.-प्र. एवं उपखण्ड-प्र. एवं द्वि.,
 68/2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, वि.न.वि.ख.-तृ. एवं उपखण्ड-प्र. एवं द्वि.,
 69/2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, वि.न.वि.म.-प. एवं उपखण्ड-प्र. एवं द्वि.,
 70/2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, वि.न.वि.म.-प्र. एवं उपखण्ड-प्र. एवं तृ.,
 71/2023-24/EUDC-1GZB रु. 2000, वि.न.वि.म.-प्र. एवं परीक्षणशाला-प्र.तृ.पं. एवं नं.1 अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता संबंधी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है। 'राष्ट्रहित में बिजली बचाएं' अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद। पत्रांक: 2893/05.02.2024

Fi
H
दो
नं
18
कु
94
59
1.
ख
स
सा
प्रदे

आ
मु
20
चा

पु
व
चा
ध

ज्ञानवापी के बंद तहखानों का सर्वे एएसआई से कराने की मांग

हिंदू पक्ष ने दायर किया आवेदन, प्रभारी जिला जज की अदालत आज करेगी सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

वाराणसी। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत में आवेदन देकर सोमवार को ज्ञानवापी के बंद तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने की मांग की गई। यह आवेदन मां शृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने दाखिल किया है। अदालत ने प्रकरण की सुनवाई की तिथि छह फरवरी नियत की है।

अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। क्योंकि इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का जो रास्ता है उसे ई-पथर से बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी में जो तहखाने दृश्यमान हैं, उनके अलावा भी अन्य तहखानों के होने की संभावना जताई गई है। ज्ञानवापी के दक्षिण तहखाने के समीप कुएं भी हैं। जिन तहखानों में सर्वे नहीं हुआ है, वहां प्राचीन ज्ञानवापी मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना है। इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया है कि सभी तहखानों का मलबा हटा कर साफ-सफाई करा कर उनका एएसआई से सर्वे कराया जाए। उधर, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेट्री की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर आपत्ति दाखिल करने की बात कही गई है।

व्यासजी के तहखाने में आरती के लिए दिया घंटा-घड़ियाल

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में आरती के लिए संजय कुमार रस्तोगी और महेश रस्तोगी ने नौ किलो का पीतल का घंटा-घड़ियाल और पांच बाती की आरती दान में दी है। इसके लिए व्यासजी के तहखाने के रिसीवर जिलाधिकारी एस. राजलिंगम से अनुमति मांगी गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तलगृह में रोजाना देवी-देवताओं की पांच पहर की आरती हो रही है। काशी के शिवभक्त संजय कुमार रस्तोगी और महेश रस्तोगी की इच्छा है कि भोग आरती के दौरान घंटा-घड़ियाल भी बजे।



पूजा के आदेश मामले में सुनवाई आज

प्रयागराज। ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा करने के खिला जज के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर छह फरवरी को फिर सुनवाई होगी। यह सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ कर रही है। पीठ ने याची अंजुमन इंतजामिया कमेट्री को 17 जनवरी 2024 के रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती देने का मौका दिया है। कोर्ट ने मामले में फिलहाल याची को कोई फौरी राहत नहीं दी है। हालांकि, कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। संवाद

लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ सहित दो मामलों की सुनवाई टली

ज्ञानवापी से संबंधित लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ सहित दो प्रकरण की सुनवाई सोमवार को टल गई। दोनों प्रकरण को सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत कर दी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ मामले को सुनवाई सोमवार को अदालत के रिक्त होने के कारण टल गई। अब इस प्रकरण की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने संबंधी मांग पर आठ फरवरी को सुनवाई होगी।

स्थानांतरण आवेदन पर 15 फरवरी को सुनवाई

अनुष्का तिवारी बनाम डीएम और अंशुका तिवारी बनाम स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ केस की सुनवाई की अगली तिथि 15 फरवरी नियत की गई है। यह दोनों प्रकरण सिविल जज सीनियर डिवीजन / फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर राखी सिंह के मुकदमे के साथ सुनवाई करने की मांग की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने ग्रहण किया पदभार



राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मुख्य न्यायाधीश को दिलाई शपथ

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल के वर्षों में यह पहली बार है, जब दोपहर बाद चीफ जस्टिस ने शपथ ली। सामान्यतः पहली पाली में ही शपथ ग्रहण समारोह होते रहे हैं। जोधपुर निवासी न्यायाधीश ने आठ जुलाई 1989 को वकालत शुरू की थी। उन्हें आठ जनवरी 2013 को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। उन्होंने 11 वर्ष के न्यायिक कार्यकाल में 1230 ऐसे निर्णय दिए हैं, जो नजीर के रूप में दर्ज हैं। संवाद

केमिकल पीने से बालक की मौत

फिरोजाबाद। दो वर्षीय बच्चे ने खेलते समय पानी समझकर पायल साफ करने वाला केमिकल पी लिया। सरकारी ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने उसे बचाने के प्रयास किए, लेकिन उसकी मौत हो गई। दिल्ली संगम विहार निवासी हसमत का दो वर्षीय पुत्र फरहान अपनी मां आफरीन के साथ ननिहाल सिरसागंज के मोहल्ला तुरकिया डेढ़ महीने पूर्व आया था। संवाद



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना - विद्युत नगरीय वितरण मण्डल - प्रथम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 विभागीय कम्प्यूटर/लेपटॉप (ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा, ड्राइवर इंस्टालेशन एवं अन्य सॉफ्टवेयर सम्बन्धित कार्य) हेतु निम्न ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती एवं 21.02.2024 को 17:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेगी। निविदा संख्या, धरोहर राशि एवं सम्बन्धित कार्यालय क्रमशः है:-65 / 2023-24/EUDC-1GZB रू० - 2000, मु० अभि० (वि०) - प्र० एवं वि० न० वि० म० - प्र०, 66/2023-24/EUDC-1GZB रू०-1500, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, 67/2023-24 / EUDC - 1GZB रू०-2000, वि० न० वि० म० - प्र०, एवं उपखण्ड - प्र० एवं वि०, 68 / 2023-24 / EUDC - 1GZB रू० - 2000 वि० न० वि० म० - तृ०, एवं उपखण्ड - प्र० एवं वि० 69/2023-24 / EUDC - 1GZB रू०-2000, वि० न० वि० म० - पं० एवं उपखण्ड - प्र० एवं वि० 70/2023-24 / EUDC-1GZB रू० - 2000 वि० न० वि० म० - न० एवं उपखण्ड - प्र० एवं वि० 71/2023-24 / EUDC - 1GZB रू०- 2000, वि० न० पं० म० - प्र० एवं परीक्षणशाला - प्र०, तृ०, पं० एवं न०। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन / विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvn.org पर देखा जा सकता है। "राष्ट्रहित में बिजली बचाय" अधीक्षण अधिनियम विद्युत नगरीय वितरण मण्डल - प्रथम, गाजियाबाद। पत्रांक: 2893 दिनांक 05/02/2024



Office of
Superintending Engineer,
6th Circle, APPWD, Kullu-175101

Ph. 01902-222530, Fax: 01902-222299 E-mail: hp-kul@nic.in
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA (PMGSY)
CORRIGENDUM

The percentage rate bid invited in electronic tendering system, vide this office letter No. PW/SEVI/Bud/PMGSY/e-Tender. PMGSY-III/2023-2024/14210.309, dated

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

अंतित कार्यालय डी-211/2, सेक्टर-61,
नोएडा, यू.पी. फोन- 0120-2583582
ईमेल: zonoida@indianbank.co.in

आवरयक सूचना (जनहित में जारी)

इंडियन बैंक इंदिरापुरम गाजियाबाद शाखा के सभी खाताधारकों को ये सूचित किया जाता है कि हमारी इंदिरापुरम गाजियाबाद शाखा (पुरानी इलाहाबाद बैंक शाखा) पता- ड-1, गौर ग्रीन एवेन्यू, प्लॉट नं. 1, अमर खण्ड-2 इंदिरापुरम गाजियाबाद को अमर खण्ड शाखा में दिनांक 01.01.2024 से विलय कर दिया गया है और परिवार खाती कर दिया गया है। अतः सभी खाताधारक से अनुरोध है कि दिनांक 01.01.2024 से अपने खातों के संचालन एवं किसी अन्य कार्य हेतु ये सूचना के लिए हमारी अमर खण्ड शाखा से निम्न पते पर संपर्क करें
पता:- इंडियन बैंक, अमर खण्ड शाखा, सी-1, महालक्ष्मी स्क्वायर, अमर खण्ड-2, निकट बैंक ऑफ बड़ोदा, इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

शाखा प्रबन्धक



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

खानाबदोश पाल, बड़ी चौक, जयपुर, राजस्थान-302002

प्रकाशक - एक-6 () उप. राज. (प्रकाशक) एन. लखन/जयपुर/हैरिटेज/2023-24/2766 दिनांक - 02/02/2024

ई-ऑक्शन (पार्किंग) विज्ञापन सं. 10/2023-24

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा सावर्जनिक पार्किंग स्थल पर पेड पार्किंग के लिए पार्किंग साइट का ई-ऑक्शन निम्नानुसार किया जाना है:-

क्र. सं.	पार्किंग स्थल का नाम	न्यूनतम बोली राशि
1.	अहिंसा सर्फिल से अग्रसेन सर्फिल तक पार्किंग	13,80,000/-
2.	जयती बाजार।	5,00,000/-
3.	शालीमार बाग संगम टॉवर।	4,86,000/-
2.	ई-नीलामी भागीदारी शुल्क	5,000/-
3.	ई-नीलामी अमानता राशि	10 प्रतिशत न्यूनतम नीलामी बोली / प्रारम्भिक नीलामी बोली राशि का (प्रत्येक पार्किंग स्थल हेतु अलग-अलग)
4.	ई-नीलामी अमानता राशि एवं	02.02.2024 से 12.02.2024 सायं 06.00 बजे तक